

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**अधिसूचना**

पटना-15, दिनांक.....

संख्या-7/शक्ति प्र0-13-01/2018 सा0प्र0.....दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक सीवान जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

**अनुसूची**

क्र० रा०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	द०प्र०सं० 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दण्डाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पत्रांक-322 दि० 06.05.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-21	19.05.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	कैमूर (भभुआ)
2	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-136/प्र० दि० 06.05.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-21	अगले छह माह तक के लिए	विधि व्यवस्था.	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	पश्चिम चम्पारण, बेतिया
3	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-639 दि० 06.05.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-21	19.05.2019	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	जहानाबाद
4	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक-73 दि० 04.05.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा-20	06.05.2019 से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019	कार्यपालक दंडाधिकारी	शिवहर

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/शक्ति प्र०-13-01/2018 सा०प्र०...../पटना-15, दिनांक .....  
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु दो प्रतियों में सी०डी० के साथ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/शक्ति प्र०-13-01/2018 सा०प्र०...../पटना-15, दिनांक 10-5-19  
प्रतिलिपि-सभी संबंधित आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित कार्मिकों को सूचित कर दिया जाय।

22/5/19  
सरकार के अवर सचिव।